उपरोक्त भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम दर्ज करने में अन्य प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा ना ही वह वादी व प्रतिवादी सं0 5 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत करेगें, कब्जा वादी व प्रतिवादी सं0 5 का ही चला आ रहा है तथा वहीं हकदार रहेगें।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझोता को अधिक महत्व दिया गया है।

अतः राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाकर चक 8 डी बडी के खाता सं0 36/41, मु0 न0 26 की 1.557 हे0 व चक 3 ई बडी द्वितीय के खाता सं0 48/45, मु0 न0 47 की 1.581 हे0 का वादी जसवंत व प्रतिवादी सावित्री देवी को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि चक 8 डी बडी के खाता सं0 36/41, मु0 न0 26 की 1.557 हे0 व चक 3 ई बडी द्वितीय के खाता सं0 48/45, मु0 न0 47 की 1.581 हे0 का वादी जसवंत व प्रतिवादी सावित्री देवी को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है, यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर